संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

ई-मेल **training.dhsmp@gmail.com** दूरभाष क्रमॉक 0755-2527105

क्रमॉक/4/प्रशिक्षण/2018/ 446 भोपाल,दिनॉक 20/08/2018

प्रति,

1-समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,मध्यप्रदेश ।

2-समस्त अधीक्षक, विशेष अस्पताल,स्वास्थ्य सेवाएं,(म0प्र0)

विषयः-महिलाओं की सुरक्षा एवं उन पर होने वाले बलात्कार / यौन शोषण के बढ़ते हुए मामलों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु नामांकन बावत् ।

संदर्भः-भारत सरकार, गृह मंत्रालय,नार्थ ब्लॉक, नईदिल्ली अ.शा.प.क्र.25020/46/2018-पी.एम.-III (डब्ल्यु.एस.) दिनॉक 25/07/2018

-000-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ क्रिमिनालॉजी एण्ड फारेन्सिक साईन्स, मिनिस्ट्ररी ऑफ होम अफेयर, सेक्टर-3, रोहनी, नईदिल्ली - 110085 के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला के साथ होने वाले बालात्कार/यौन शोषण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए विशेषज्ञ/चिकित्सकों के लिए इस संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र् निम्नानुसार अवधि में आयोजित किये जाऐंगे :-

स.क्र.	माह	प्रशिक्षण दिनॉक
(1)	(2)	(3)
1	सितम्बर,2018	7-8, 14-15, 22-23 एवं 28-29
2	अक्टूबर,2018	5-6, 12-13 एवं 26-27
3	नवम्बर,2018	2-3,9-10,16-17, 30नवम्बर से 01 दिसम्बर,2018 तक
4	दिसम्बर,2018	7-8,14-15,21-22 एवं 28-29

2/ यह प्रशिक्षण सत्र् चिकित्सकों के लिए उपयोगी होगा जो यौन शोषण एवं उत्पीड़न से संबंधित मामलों में मेडिको लीगल परीक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं । इन चिकित्सकों का दायित्व होगा कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त जिले के अन्य चिकित्सकों को भी इस संबंध में प्रशिक्षित करें ।

3/ इस प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी अपने नामांकन सीधे निम्न पते अथवा ई-मेल आई.डी. **training.nicfs@nic.in** पर प्रेषित कर सकते हैं :-

लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ क्रिमिनालॉजी एण्ड फारेन्सिक साईन्स, मिनिस्ट्ररी ऑफ होम अफेयर,सेक्टर-3, रोहनी, नईदिल्ली-110085

4/ नामांकन भेजते समय **विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को अपना नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. की जानकारी तथा किस तिथि में प्रशिक्षण में भाग लेना है** सबंधी विवरण प्रेषित किया जाना होगा । प्रशिक्षण में भाग लेने पर ठहरने एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सौजन्य से की जाऐगी तथा यात्रा देयक का भुगतान पदस्थापना स्थल से पात्रता अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा ।

5/ प्रशिक्षण हेतु चयनित अधिकारियों के नाम वेबसाईड www.nicfs.gov.in पर देखें जा सकेंगे । डाऊन लोड किये जा सकेंगे । प्रशिक्षण में उन्हीं विशेषज्ञ/ चिकित्सकों को भाग लेने की अनुमति होगी जिनका चयन इस प्रशिक्षण हेतु किया गया है ।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश
0755-2441074

पृ0क्र0/4/प्रशिक्षण/2018/ भोपाल,दिनॉक /08/2018

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ ।

1/ प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय-भोपाल ।

2/ आयुक्त,स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश ।

3/ मिशन संचालक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,8-अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, भोपाल ।

4/ संचालक,अस्पताल प्रशासन,मध्यप्रदेश ।

5/ समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश । कृपया अपने अपने संभाग के जिलों में विशेषज्ञ/चिकित्सकों को इस प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

6/ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मध्यप्रदेश । जिले की अन्य संस्थाओं में भी पदस्थ विशेषज्ञ/चिकित्सकों को भी इस प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकता है । अतः उन्हें भी इस प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

हस्ता०/-
संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं,
मध्यप्रदेश